न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 19/2023 (राजसमन्द आर्डर)

1. हरलाल पिता भंवरलाल जी गुर्जर, निवासी आगल गांव, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
2. प्रतापी बेवा भंवरलाल जी गुर्जर, निवासी आगल गांव, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
3. प्रभूलाल पिता नंगा जी गुर्जर, निवासी आगल गांव, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
4. शम्भूलाल पिता नंगा जी गुर्जर, निवासी आगल गांव, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
5. चन्द्री बेवा नंगा जी गुर्जर, निवासी आगल गांव, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
6. मोहन पिता देवा जी गुर्जर, निवासी आगल गांव, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
7. रोशन पिता देवा जी गुर्जर, निवासी आगल गांव, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
8. नाथु पिता मोडा जी गुर्जर, निवासी आगल गांव, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
9. जेतु बेवा देवा जी गुर्जर, निवासी आगल गांव, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. देवीलाल पिता लच्छु जी गुर्जर, निवासी आगल गांव, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
2. मानाराम पिता लालु जी गुर्जर, निवासी आगल गांव, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
3. लालु पिता हीरा जी गुर्जर, निवासी आगल गांव, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
4. कालु पिता आशु जी गुर्जर, निवासी आगल गांव, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
5. कानाराम पिता आशु जी गुर्जर, निवासी आगल गांव, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:30:12 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर (राज.)

6. प्रभुलाल पिता आशु जी गुर्जर, निवासी आगल गांव, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
7. देउबाई पिता आशु जी गुर्जर, निवासी आगल गांव, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
8. भेरा पिता किशना जी गुर्जर, निवासी आगल गांव, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्व
निर्णय उपखण्ड अधिकारी, आमेट
दिनांक 05.09.2023 प्र.सं. 354/2016

---/---

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री प्रवीण मण्डोवरा अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री दुर्गासिंह कर्णावत अभिभाषक रे.सं. 1 से 8
3– श्री पैरोकार सरकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 9

---::---

निर्णय दिनांक 20–02–2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम आगल गांव में प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 11 से 15 के संयुक्त हक, अधिकार की खाता संख्या नया 85 पुराना 77 की भूमियां स्थित हैं, जिसके आराजी नंबर 688, 691, 693 से 703 हैं। प्रार्थीगण की उक्त भूमियों के पास ही विपक्षी सक्ष्या 1 से 10 की खाता संख्या नया 107 पुराना 101 की भूमियां हैं। प्रार्थीगण के आगे की तरफ विपक्षी की आराजी नंबर 705 रकबा 0.0600 हैक्टर किस्म रास्ता व 706 रकबा 0.5900 हैक्टर किस्म बंझड आती है, जिससे होते हुए प्रार्थीगण अपने खाते की आराजीयात में आते–जाते हैं, जिसका उपयोग वे 50 वर्षो से भी अधिक समय से करते चले आ रहे हैं। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के पास अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। आराजी नंबर 705 व 706 में जो रास्ता है वह काफी सकड़ा होने से प्रार्थीगण को हल, बैल व बैलगाड़ी लाने ले जाने में काफी परेशानी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:30:12 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

सामना करना पड़ता है। इसलिए प्रार्थीगण को उक्त आराजीयात में से 20 फिट चौड़ा रास्ता दिलाया जाकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे।

विपक्षी की ओर से खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी नंबर 705 किस्म रास्ता से प्रार्थीगण का कोई लेना–देना नहीं है, न ही उक्त रास्ते से वे कभी आते–जाते हैं। प्रार्थीगण का आराजी नंबर 706 में भी कोई रास्ता नहीं है, बल्कि प्रार्थीगण का पृथक से रास्ता मौके पर मौजूद है। प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ता होते हुए भी विपक्षीगण की खातेदारी भूमि से रास्ता चाह रहे हैं, जो निरस्त योग्य है।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 05–09–2023 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 19–12–2023 को यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 8 की ओर से अधिवक्ता श्री दुर्गासिंह कर्णावत उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 9 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्टगण को उक्त आदेश की जानकारी दिनांक 05–12–2023 को हुई, जिस पर नकले प्राप्त कर अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर दी है। अपीलान्टगण द्वारा जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील अन्दर अवधि शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अपीलान्टगण के अधिवक्ता की उपस्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है, जिसकी जानकारी अपीलान्टगण को दिनांक 05–09–2023 को ही हो चुकी थी। अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने का कोई ठोस एवं उचित कारण अपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में नहीं बताया गया है। अतः [illegible] मयाद होने से मात्र इसी आधार पर खारिज की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:30:12 IST
Reason: SelfAttested

भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर पत्रावली का मनन किया। प्रकरण में अल्प विलम्ब हुआ है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 05–09–2023 की मियाद 60 दिवस अर्थात दिनांक 04–11–2023 तक प्रस्तुत कर देनी चाहिए था, जबकि यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 19–12–2023 को प्रस्तुत की गयी है, जो करीब डेढ़ माह विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण में बहुत अधिक विलम्ब नहीं हुआ है। अतः प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया एवं बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने अथवा नहीं बाबत् कोई रिपोर्ट तलब नहीं की गयी है तथा न ही पटवारी हल्का एवं उप तहसीलदार ने इस संबंध में कोई रिपोर्ट बनायी है, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने रास्ते बाबत् आदेश पारित कर दिया। अपीलान्टगण के पूर्व से रास्ता मौजूद था, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं किया गया तथा बिना विचार किये अवैध रूप से नया रास्ता निकालने हेतु आदेश पारित कर दिया, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट के आधार पर रास्ते बाबत् निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। उपतहसीलदार सरदारगढ़ द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है, उसमें स्पष्ट अंकन है कि "आराजी नंबर 688, 690, 691, 693 से 703, 705 व 705 का वादीगण एवं प्रतिवादीगण में से हरलाल गुर्जर की उपस्थिति में मौके की जांच की गयी। जांच अनुसार आराजी नंबर 705 रकबा 0.0600 हैक्टर किस्म रास्ता होकर मौके पर खुला हुआ है एवं विपक्षीगण की आराजी नंबर 705 [illegible] आराजी नंबर 688, 690, 691, 693 से 703 में जाने हेतु वर्तमान में कोई रास्ता नहीं है।" अधिनस्थ न्यायालय ने उपतहसीलदार सरदारगढ़ की उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:30:12 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

ही 15 फिट चौड़ा रास्ता दिये जाने का आदेश पारित किया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्टगण की यह आपत्ति कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने अथवा नहीं बाबत् कोई रिपोर्ट तलब नहीं की गयी है, उचित प्रकट नहीं होता है। उक्त मौका रिपोर्ट स्वयं अपीलान्ट हरलाल की उपस्थिति में तैयार की गयी है तथा रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता होने के कारण रास्ते बाबत् आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 05–09–2023 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 20–02–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:30:12 IST
Reason: SelfAttested